प्रस्तावना

भारत सरकार ने त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) को संशोधित करके तथा पूर्व के उप-मिशन/योजनाओं को समाहित करके अप्रैल 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) की शुरूआत की। पाइप द्वारा जल आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करके, परिवारों को नल कनेक्शन में वृद्धि और पेयजल आपूर्ति के मानदंडों को बढ़ाकर 2013 में एनआरडीडब्ल्यूपी दिशानिर्देशों को अद्यतित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण व्यक्ति को पीने, भोजन पकाने और अन्य घरेलू आवश्यकताओं के लिए स्थायित्व आधार पर स्वच्छ और पर्याप्त जल प्रदान करना है।

एनआरडीडब्ल्यूपी की निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गयी थी कि किस सीमा तक कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। निष्पादन लेखापरीक्षा में 2012 से 2017 तक की अवधि कवर हुई थी और इसमें कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं जैसे योजना बनाना, वितरण तंत्र, निधि प्रबंधन, आंशिक रूप से कवर और गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के कवरेज समेत कार्यान्वयन, जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग और निगरानी का परीक्षण किया गया है।

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप यह लेखापरीक्षा की गई है।